माननीय प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की अवध विहार योजना–लखनऊ में (जी+3) टाईप फ्लैट्स के आन–लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

मा0 प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में (जी+3) टाईप फ्लैट्स के आन–लाइन पंजीकरण **(Online Registration)** में निम्नलिखित प्रकिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :–

आन–लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Pradhanmantri Awas Yojan-Online Registration" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उसपर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैटस की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर, निवास–पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ / हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन–लाईन अपलोड / फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रकिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0 / पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा **ई–रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।**

पंजीकरण धनराशि का भुगतान :–

- उपरोक्तनुसार आन–लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीं:–

    - ✓ Visit website www.upavp.in & click on link " Pradhanmantri Awas Yojna-Online Registration "
    - ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
    - ✓ Click on 'Apply Online' link & provide basic details and property.
    - ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
    - ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card.**
    - ✓ If applicant selected **'e-challan'** payment mode, then 'e-challan' will be generated.
    - ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest **HDFC branch**.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

(**नोट**–डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक ''**उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद**'' के पक्ष में देय होना चाहिए।)

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ दर्ज/अपलोड की जायेगी।
- आन–लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (**फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा–पत्र, ई–चालान की प्रति आदि**) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें :–

अवध विहार योजना, लखनऊ के पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता–

"सम्पत्ति प्रबंधक
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय–अवध विहार योजना
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
प्रथम तल, आफिस काम्प्लेक्स,
सेक्टर–9ए वृन्दावन योजना, लखनऊ (उ0 प्र0)–226002"